

Case No. 300034A/2016

Filling no,300309/2016

न्यायालय:-श्रीष कैलाश शुक्ल, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1  
बैहर, जिला बालाघाट म.प्र.

व्यवहारादप्रकरण क्र०-300034ए / 2016

संस्थित दिनांक 23.06.2016

1. श्रीमती गिरजाबाई आयु-45 वर्ष पति महेलसिंह जाति गोंड,
  2. अमरसिंह आयु 20 वर्ष पिता महेलसिंह जाति गोंड,
  3. रविन्द्र कुमार आयु 16 वर्ष पिता महेलसिंह जाति गोंड,
- ना.बा.वली माँ गिरजाबाई पति महेलसिंह जाति गोंड,  
सभी निवासी ग्राम फण्डकी चौकी डोरा थाना रूपझर,  
तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट।

.....वादीगण।

विरुद्ध

1. सर्वसाधारण आम जनता,
  2. सरपंच ग्राम पंचायत अमवाही,
  3. सचिव ग्राम पंचायत अमवाही,
- दोनों जनपद पंचायत व तहसील परसवाड़ा  
जिला बालाघाट मध्यप्रदेश।

.....प्रतिवादीगण।

—:: निर्णय ::—

—:: दिनांक 02.12.2016 को घोषित ::—

1. यह वाद महेलसिंह पिता उमेदसिंह निवासी-ग्राम फण्डकी चौकी डोरा अंतर्गत थाना रूपझर तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट के अप्रैल, 2006 से आज दिनांक तक दिखाई व सुनाई न देने से उसकी मृत्यु की उपधारणा की घोषणा के अनुतोष हेतु प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रकरण में प्रतिवादी क्रमांक 02 व 03 द्वारा वादी के अधिकांश दावे को स्वीकार किया गया है एवं यह भी स्वीकार किया गया कि महेलसिंह पिता उमेदसिंह विगत 10-11 वर्षों से देखा व सुना नहीं गया है। यह स्वीकार किया है कि वादी ने महेलसिंह पिता उमेदसिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत अमवाही से मांगा था।
3. वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी क्रमांक 01 गिरजाबाई, वादी क्रमांक 02 एवं 03 की माँ है तथा महेलसिंह पिता उमेदसिंह की पत्नी है, जो ग्राम फण्डकी में निवास करती है। वादी क्रमांक 01 गिरजाबाई का पति व वादी क्रमांक 02 एवं 03 का पिता महेलसिंह पिता उमेदसिंह अप्रैल 2006 में तेंदुपत्ता संग्रहण के

लिये ठेकेदार के साथ गया था और वह कभी अपने घर वापस नहीं आया। जाने से पहले महेलसिंह पिता उमेदसिंह ने यह बताया था कि एक महीने के बाद तेंदुपत्ता सिजन समाप्त होने के बाद वह वापस आ जावेगा परन्तु वह एक महीने के उपरांत वापस नहीं आया तो वादी क्रमांक 01 गिरजाबाई ने गांव में एवं रिश्तेदारों के यहाँ अपने पति महेलसिंह पिता उमेदसिंह की खोजबीन की, परन्तु उसका कोई भी पता नहीं चल पाया। महेलसिंह पिता उमेदसिंह की कोई सूचना न मिलने पर वादीगण द्वारा सूचना पुलिस चौकी डोरा में दी गई। यह सूचना ग्राम पटेल व कोटवार के साथ जाकर दी गई थी। अप्रैल 2006 से 10 वर्ष से अधिक अवधि से महेलसिंह पिता उमेदसिंह की कोई भी सूचना वादीगण को प्राप्त नहीं हुई है।

4. महेलसिंह पिता उमेदसिंह के नाम पर ग्राम फण्डकी प.ह.नं.10/42 रा.नि.मं. उकवा तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट में पैतृक खानदानी भूमि दर्ज है जिसके रख-रखाव में वादीगण को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि राजस्व अभिलेख में भूमि महेलसिंह पिता उमेदसिंह के नाम पर दर्ज है। वादीगण महेलसिंह पिता उमेदसिंह के जीवित अथवा मृत होने की किसी भी प्रकार की सूचना आम-जनता या अन्य किसी माध्यम से वादीगण को नहीं मिली है। वादीगण ने दिनांक 02.06.2015 को ग्राम पंचायत अमवाही के सरपंच व सचिव से महेलसिंह पिता उमेदसिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था परन्तु उन्होंने सक्षम न्यायालय से घोषणा की डिक्री प्राप्त करने के लिये वादीगण को सलाह दी थी। उपरोक्त स्थिति में वादीगण महेलसिंह पिता उमेदसिंह के मृत होने की घोषणा का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः महेलसिंह पिता उमेदसिंह, निवासी फण्डकी चौकी डोरा, थाना रूपझर, तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट को मृत घोषित किया जावे।

5. वादीगण के दावा को अधिकांशतः स्वीकार कर प्रतिवादी क्रमांक 02 एवं 03 ने कहा है कि महेलसिंह पिता उमेदसिंह अप्रैल 2006 में तेंदुपत्ता सिजन में ठेकेदार के साथ यह बता कर गया था कि वह एक माह में वापस आ जायेगा परन्तु 10-11 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी उसकी कोई जानकारी नहीं मिली है और यह संभावना है कि उसकी मृत्यु हो गई होगी। वादीगण द्वारा महेलसिंह पिता उमेदसिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु ग्राम पंचायत अमवाही से संपर्क किया गया था, इसलिये उन्हें न्यायालय से आदेश प्राप्त करने की सलाह दी गई थी।

6. न्यायालय द्वारा प्रकरण में निम्नलिखित विचारणीय प्रश्नों की विरचना की गई है जिनके सम्मुख निष्कर्ष निम्नानुसार है:—

क्रमांक	वादप्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या वादी क्रमांक 01 का पति एवं वादी क्रमांक 02 एवं 03 का पिता महेलसिंह पिता उमेदसिंह को अप्रैल 2006 से आज दिनांक तक किसी के द्वारा देखा अथवा सुना नहीं गया ?	
2	क्या महेलसिंह पिता उमेदसिंह की मृत्यु हो गई है, इस बात की उपधारणा की घोषणा की जा सकती है ?	
3	सहायता एवं खर्च ?	

**वादप्रश्न क्र01 का निष्कर्ष:—**

7. इस वादप्रश्न को सिद्ध करने का भार वादी पर है। वादी गिरजाबाई वा.सा.01 ने यह कहा है कि वह महेलसिंह पिता उमेदसिंह निवासी फण्डकी चौकी डोरा अंतर्गत थाना रूपझर तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट की पत्नी है। वादी क्रमांक 02 एवं 03 उसके पुत्र हैं। महेलसिंह पिता उमेदसिंह तेंदुपत्ता भरने के लिये ठेकेदार के साथ घर से गया था और इसके पश्चात् वह अपने घर वापस नहीं आया। महेलसिंह पिता उमेदसिंह के जाने के एक महीने बाद जब तेंदुपत्ता सिजन समाप्त हुआ तब उसने अपने पति की खोजबीन गांव में तथा सभी रिश्तेदारों के घर की परन्तु उसे इस बाबद् कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। काफी प्रयास करने के बाद भी जब महेलसिंह पिता उमेदसिंह की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई तब उसने ग्राम पटेल व कोटवार के साथ जाकर पुलिस चौकी डोरा में अपने पति के गुम होने की सूचना दी थी। अप्रैल 2006 से 10 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात् भी उसके पति की कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुई है। उसके पति महेलसिंह पिता उमेदसिंह के नाम पर मौजा फण्डकी प.ह.नं.10/42 रा.नि.मं. उकवा थाना रूपझर तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट में पैतृक खानदानी भूमि दर्ज है और कृषि संबंधी कार्यों में उसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खाद, बीज एवं अन्य सामग्री उसे प्राप्त नहीं होती है। वादी गिरजाबाई वा.सा.01 ने यह कहा है कि उसने ग्राम पंचायत अमवाही के सरपंच व सचिव से उसके पति महेलसिंह पिता उमेदसिंह के मृत्यु प्रमाण पत्र के संबंध में कहा था तब उन्होंने

न्यायालय से घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने की सलाह दी थी। अतः उसके पति महेलसिंह पिता उमेदसिंह को मृत घोषित किया जावे।

8. वादी गिरजाबाई वा.सा.01 ने अपने पक्ष समर्थन में दैनिक समाचार पत्र जबलपुर जन पक्ष में आम सूचना जो दिनांक 31.07.2016 को प्रकाशित हुई थी प्र.पी.02 दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किया है। वादी गिरजाबाई वा.सा.01 ने ग्राम पंचायत अमवाही के सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 07.06.2016 प्र.पी.01 दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किया है। प्र.पी.01 दस्तावेज प्रमाण पत्र में सरपंच ग्राम पंचायत अमवाही द्वारा यह प्रमाण पत्र जारी किया जाना दर्शित है कि महेलसिंह पिता उमेदसिंह वर्ष 2006-07 से घर वापस नहीं आया है और उसका कोई पता नहीं चला है। प्र.पी.02 दैनिक समाचार पत्र के प्रकाशन में वादी गिरजाबाई वा.सा.01 ने न्यायालय के समक्ष महेलसिंह पिता उमेदसिंह की मृत्यु घोषणार्थ वाद प्रस्तुत किया जाना और इस संबंध में सर्वसाधारण को उपरोक्त विषय में सूचित किया जाना दर्शित है। वादी गिरजाबाई वा.सा.01 के कथनों का समर्थन वादी साक्षी नेमीचंद भिमटे वा.सा.02 ने किया है और यह कहा है कि वह ग्राम अमवाही में ग्राम कोटवार के पद पर पदस्थ है और वादी गिरजाबाई व उसके पुत्र अमरसिंह एवं रविन्द्र कुमार को पहचानता है। साक्षी ने कहा है कि वादी गिरजाबाई महेलसिंह पिता उमेदसिंह की पत्नी है और वादी क्रमांक 02 एवं 03 उसके पुत्र हैं। महेलसिंह पिता उमेदसिंह अप्रैल 2006 में तेंदुपत्ता संग्रहण के लिये ठेकेदार के साथ गया था और एक माह पश्चात आने का कहकर गया था परन्तु इसके पश्चात वह गांव वापस नहीं आया और महेलसिंह पिता उमेदसिंह की खोजबीन गांव में तथा अन्य जगहों पर की गई परन्तु उसकी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि गिरजाबाई पति महेलसिंह ने उसे यह सूचना दी थी कि उसका पति महेलसिंह घर नहीं आया था, तब वह महेलसिंह की पत्नी गिरजाबाई के साथ पुलिस चौकी डोरा गया था और इस बाबद् सूचना दी थी। साक्षी ने यह भी कहा है कि महेलसिंह की पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की थी या नहीं वह यह बात नहीं बता सकता। प्रतिपरीक्षण में वादी गिरजाबाई वा.सा.01 ने यह कहा है कि उसने अपने पति के विषय में जानकारी प्राप्त करने का पूर्ण प्रयास किया था परन्तु उसे उसके पति के विषय में कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुई। साक्षी ने कहा है कि उसके पति को आखरी बार अप्रैल 2006 में देखा गया था।

9. प्रकरण में महेलसिंह पिता उमेदसिंह की मृत्यु की घोषणा के विषय में प्रस्तुत व्यवहार वाद की सूचना का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र में किया गया है। प्र.पी.02 समाचार पत्र में प्रकाशन के पश्चात नियत अवधि में सर्वसाधारण जनता



की ओर से किसी भी व्यक्ति के द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर महेलसिंह पिता उमेदसिंह, निवासी फण्डकी प.ह.नं.10/42 रा.नि.मं. उकवा तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट के विषय में उसके जीवित होने का कथन या इस बात की जानकारी कि वह देखा अथवा सुना गया है अथवा कोई अन्य आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। संबंधित ग्राम पंचायत अमवाही कोटवार द्वारा यह भी न्यायालय के समक्ष कहा गया है कि महेलसिंह पिता उमेदसिंह को विगत 10 वर्षों से गांव में किसी के द्वारा नहीं देखा गया है और न ही उसकी कोई सूचना प्राप्त हुई है। इस प्रकार अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य से यह प्रमाणित हो रहा है कि महेलसिंह पिता उमेदसिंह को अप्रैल 2006 के पश्चात आज दिनांक तक देखा अथवा सुना नहीं गया है। अतः वादप्रश्न क्रमांक 01 का निष्कर्ष प्रमाणित में दिया जाता है।

#### **वादप्रश्न क02 का निष्कर्ष:-**

10. वादी गिरजाबाई वा.सा.01 ने अपने शपथ पत्रीय साक्ष्य में यह कहा है कि अप्रैल 2006 से वर्तमान समय तक महेलसिंह पिता उमेदसिंह के विषय में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होने से उसने ग्राम पंचायत अमवाही के सरपंच एवं सचिव से महेल सिंह पिता उमेदसिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने के लिये कहा था तब उसे सरपंच एवं सचिव ग्राम पंचायत अमवाही द्वारा न्यायालय से घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने की सलाह दी गई थी। वादी साक्षी नेमीचंद भिमटे वा.सा.02 ने भी यह कहा है कि वादी गिरजाबाई वा.सा.01 ने उसके पति महेलसिंह पिता उमेदसिंह के घर पर वापस नहीं आने पर उसके साथ पुलिस चौकी डोरा जाकर उसकी सूचना दी थी। वादी गिरजाबाई वा.सा.01 ने कहा है कि महेलसिंह पिता उमेदसिंह के नाम पर ग्राम फण्डकी प.ह.नं.10/42 रा.नि.मं. उकवा तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट की पैतृक भूमि है और कृषि कार्य में उसे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उसे खाद, बीज एवं अन्य सामग्री प्राप्त नहीं होती है।

11. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा-107 के अनुसार "जबकि प्रश्न यह है कि कोई मनुष्य जीवित है या मर गया है और यह दर्शित किया गया है कि वह तीस वर्ष के भीतर जीवित था, तब यह साबित करने का भार कि वह मर गया है उस व्यक्ति पर है, जो उसे प्रतिज्ञात करता है" तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा-108 के अनुसार "परन्तु जबकि प्रश्न यह है कि कोई मनुष्य जीवित है या मर गया है और यह साबित किया गया है कि उसके बारे में सात वर्ष से उन्होंने कुछ नहीं सुना है, जिन्होंने उसके बारे में यदि वह जीवित होता तो स्वाभाविकतया सुना होता, तब यह साबित करने का भार कि वह जीवित है, उस व्यक्ति पर चला जाता है जो उसे प्रतिज्ञात करता है"। उपरोक्तानुसार यदि कोई

मनुष्य जीवित है या वह मर गया है और यदि यह बात साबित कर दिया गया है कि 07 वर्ष की अवधि में उसकी कोई जानकारी नहीं है तब यह साबित करने का भार, कि वह जीवित है, उस व्यक्ति होगा जो उसके जीवित होने का कथन करता है। इस प्रकरण में सर्वसाधारण आम जनता की ओर से तथा ग्राम पंचायत अमवाही की ओर से इस प्रकार की कोई आपत्ति नहीं ली गई है कि उन्हें महेलसिंह पिता उमेदसिंह के जीवित होने के विषय में कोई भी जानकारी प्राप्त हुई है। अतः यह उपधारणा की जा सकती है कि महेलसिंह पिता उमेदसिंह को विगत सात वर्ष से अधिक अवधि से देखा व सुना नहीं गया है इसलिये उसकी मृत्यु हो चुकी है। अतः वादप्रश्न क्रमांक 02 का निष्कर्ष प्रमाणित में दिया जाता है।

**सहायता एवं खर्च:-**

12. उपरोक्त विवेचना के आधार पर वादीगण अपना दावा सिद्ध करने में सफल रहे हैं। अतः वादीगण का दावा महेलसिंह पिता उमेदसिंह ग्राम फण्डकी चौकी डोरा अंतर्गत थाना रूपझर तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट की मृत्यु की उपधारणा की घोषणा का वाद जयपत्रित किया जाता है एवं निम्न आज्ञाप्ति पारित की जाती है:-

1.महेलसिंह पिता उमेदसिंह के सात वर्ष से अधिक अवधि से किसी भी व्यक्ति के द्वारा देखा व सुना न जाने से यह उपधारणा की घोषणा की जाती है कि महेलसिंह पिता उमेदसिंह, निवासी ग्राम फण्डकी, चौकी डोरा अंतर्गत थाना रूपझर तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट की मृत्यु हो चुकी है।

2.प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुये उभयपक्ष अपना-अपना वादव्यय वहन करेंगे।

3.अधिवक्ता शुल्क सूचीनुसार अथवा प्रमाणित होने पर जो भी न्यून हो देय होगा।

तदनुसार आज्ञाप्ति तैयार की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर, मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।  
हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

सही/-

(श्रीष कैलाश शुक्ल)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, बैहर

सही/-

(श्रीष कैलाश शुक्ल)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, बैहर

Case No. 300034A/2016

Filing no,300309/2016

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)